

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो/एम-92/2019/30

दिनांक: 19/2/19

आदेश

श्री नरेश कुमार बैरवा, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय, दौसा जिनकी मृत्यु दिनांक 29.12.2018 को हो जाने पर दिनांक 29.12.2018 से इनका नाम राज्य सेवा से विलोपित/पृथक किया जाता है। श्री नरेश कुमार बैरवा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो/एम-92/2019/30

दिनांक: 14/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, दौसा।
3. स्व. श्री नरेश कुमार बैरवा, रेडियोग्राफर के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

5 सर्व 2 रूप वा 19 2019/30

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर